मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 11 | मई 2020

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	गवर्नर का वक्तव्य	1
II.	विनियमन	3
III.	वित्तीय बाजार विनियमन	4
IV.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
V.	सरकार का बैंक	4
VI.	जारी डेटा	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एफ्सीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिजर्व बैंक द्वारा मई महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुडे रहने में आपकी मदद करती है। एफ्सीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यफ से हफ तथ्यात्फ्क सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 22 मई 2020 के अपने वक्तव्य में कहा कि जारी किए गए व्यापक आर्थिक आंकड़ों से पहली बार COVID-19 द्वारा किए गए नुकसान का पता चला और 03 से 05 जून 2020 के दौरान निर्धारित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक को समय-पूर्व आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई। गवर्नर ने एमपीसी के निर्णयों की पृष्ठभूमि, निर्णयों के औचित्य और अपेक्षित परिणामों को सामने रखने से पहले समिति के सदस्यों को मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों में समिति के कार्य में बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

गवर्नर ने अपने वक्तव्य में मौद्रिक नीति संबंधी संभावनाओं को प्रस्तुत किया और एमपीसी द्वारा कम की गई नीति दर को अनुपूरक और अनुरूप विनियामक और विकासात्मक उपायों की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने बाजारों के कामकाज में सुधार, निर्यात और आयात को समर्थन देने और राज्य सरकारों के सामने आने वाले तनाव और वित्तीय बाधाओं को कम करने के उपायों की भी घोषणा की।

गवर्नर के वक्तव्य की प्रमुख विशेषताएं नीचे उल्लिखित हैं:

आकलन

- सभी मामलों में वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थितियां दबावग्रस्त हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से मंदी की ओर बढ़ रही है।
- वैश्विक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल 2020 में 11 साल के निचले स्तर पर संकुचित हुआ है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा अनुमानित विश्व व्यापार की मात्रा 2020 में 13-32 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है। 2020 की पहली तिमाही में विश्व सेवा व्यापार में कमी आई।
- केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा अभूतपूर्व वैश्विक नीति प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत गुमनाम रही है।
- लॉकडाउन अवधि के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधि गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। करीब 60 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन देने वाले शीर्ष 6 औद्योगीकृत राज्य काफी हद तक लाल या नारंगी क्षेत्रों में हैं।
- कोर उद्योगों का उत्पादन, जो समग्र औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है, 6.5 प्रतिशत तक संकुचित हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संबंध में आंशिक सूचना जारी करने से मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण जटिल हो गया है, क्योंकि इससे मूल्य की स्थिति का व्यापक और स्पष्ट आकलन प्राप्त नहीं हो रहा है।
- बाहरी क्षेत्र में, भारत के माल निर्यात और आयात में पिछले 30 वर्षों में सबसे खराब मंदी का सामना करना पड़ा क्योंकि COVID-19 ने विश्व उत्पादन और मांग को पंगु बना दिया। अप्रैल 2020 में भारत का वस्तु निर्यात 60.3 प्रतिशत गिर गया था जबकि आयात में 58.6 प्रतिशत की गिरावट हुई। अप्रैल 2020 में व्यापार घाटा घटकर 6.8 बिलियन डॉलर रह गया, जो जून 2016 के बाद से सबसे कम है।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में अब तक 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15 मई तक) से बढ़कर 487.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है - जो एक साल के आयात के बराबर है।

संभावनाएं

- एमपीसी ने आकलन किया कि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है। अप्रैल में खाद्य कीमतों को प्रभावित करनेवाले आपूर्ति अवरोध अगले कुछ महीनों तक बने रह सकते हैं जो लॉकडाउन की स्थिति और छूट के बाद आपूर्ति श्रृंखला बहाल करने के लिए लगनेवाले समय पर निर्भर रहेंगे।
- एमपीसी का मानना है कि महामारी का व्यापक- आर्थिक प्रभाव शुरू में प्रत्याशित से अधिक गंभीर

हो रहा है। आर्थिक और वित्तीय गतिविधि के विनाश से अधिक, जीवन-यापन और स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हैं। यह देखते हुए कि विकास के लिए जोखिम तीव्र हैं जबकि मुद्रास्फीति के लिए जोखिम अल्पकालिक होने की संभावना है, एमपीसी का मानना है कि अभी यह आवश्यक है कि विश्वास स्थापित किया जाए और वित्तीय स्थितियों को और सहज बनाया जाए। गवर्नर का पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए यहा क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और विकसित वृहद आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर एमपीसी ने 22 मई 2020 को हुई बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएम) के तहत पॉलिसी रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 40 बीपीएस से घटाकर 4.40 से 4.0 फीसदी करने का फैसला किया। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई है और एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 3.75 प्रतिशत से घटकर 3.35 प्रतिशत हो गई है।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय विकास का समर्थन करते हुए +/-2 प्रतिशत के बैंड के भीतर 4 प्रतिशत की सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं । अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय

i) सिडबी के लिए पुनर्वित्त सुविधा

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को अपने कार्यों में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 90 दिनों की एक और अवधि के लिए 90 वें दिन के अंत में रोल करने का फैसला किया, रिजर्व बैंक द्वारा पहले 15,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा सिडबी को उधारी/ पुनर्वित्तीकरण के लिए प्रदान की गई थी।

ii) वीआरआर के तहत एफपीआई द्वारा निवेश

COVID-19 से संबंधित व्यवधानों के कारण एफपीआई और उनके संरक्षकों द्वारा आवंटित सीमा का कम से कम 75 प्रतिशत निवेश तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए, इस शर्त का पालन करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि एफपीआई को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए।

निर्यात और आयात को बढ़ाने के उपाय

विदेशी व्यापार क्षेत्र को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :

i) एक्सपोर्ट क्रेडिट

रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की अधिकतम अनुमत अवधि को वर्तमान एक वर्ष से 15 माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही बिलों के वसूली में देरी, जिससे उनके उत्पादन और वसूली चक्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं, जैसी वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

ii) एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के लिए तरलता सुविधा

रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि एक्जिम बैंक को सुविधा का लाभ उठाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए एक वर्ष के अधिकतम रोलओवर के साथ ₹15,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन प्रदान की जाए, ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके।

iii) आयात के लिए भुगतान समय का विस्तार

COVID-19 वातावरण में अपने परिचालन चक्रों का प्रबंधन करने के लिए आयातकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले किए गए ऐसे आयातों के लिए शिपमेंट की तारीख से भारत में सामान्य आयात के प्रेषण के पूरा होने की समयावधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी के लिए राशि रोकी जाती है।

वित्तीय दबाव कम करने के उपाय

i) सावधि ऋण किस्तों पर अधिस्थगन

COVID-19 महामारी के कारण निरंतर व्यवधानों और लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने उधार देने वाली संस्थाओं को मीयादी ऋण किस्तों पर अधिस्थगन अवधि को तीन महीने अर्थात 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।

ii) कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का आस्थगन

नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक, और तीन महीनों के लिए आस्थगन देने की अनुमति दी जा रही है। यह 1 मार्च 2020 तक बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर 27 मार्च 2020 को तीन महीने की दी गई अनुमति के अलावा है ।

iii) आस्थगन अवधि के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का भुगतान

कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर आस्थगित अवधि के लिए संचित ब्याज को एकबारगी चुकाने में उधारकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को सुधारने के लिए, उधार देने वाली संस्थाओं को आस्थगन अवधि के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर जमा ब्याज को एक वित्तपोषित ब्याज मीयादी ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसे चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले चुकाना होगा।

iv) कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को सुगम बनाना

इस बयान में कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि मार्जिन को कम करके ड्राइंग पावर की पुनर्गणना, 31 मार्च, 2021 तक उधार लेने वाली इकाई के कार्यशील पूंजी चक्र का पुनर्मूल्यांकन करना, उधारदाताओं को उजतखऊ-19 प्रभाव के बारे में सूचित आकलन करने के लिए आवश्यक छूट प्रदान करना। पूरा बयान पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

II. विनियमन

COVID-19 विनियामक पैकेज

रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सीओवीआईडी-19 संबंधित अवरोधों के तीव्रीकरण को देखते हुए पुनर्भुगतान दबाव और कार्यशील पूंजी तक पहुंच के मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।

i) भुगतान का पुनर्निर्धारण

ऋण और उनकी अवशिष्ट अवधि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची बोर्ड के पार अंतरित कर दी जाएगी। अधिस्थगन अवधि के दौरान मीयादी ऋणों के बकाया हिस्से पर ब्याज उपचित होता रहेगा।

ii) कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को सुगम बनाना

रिजर्व बैंक ने एक बार के उपाय के रूप में ऋण देने वाली संस्थाओं को COVID-19 महामारी के आर्थिक नतीजों के कारण तनाव का सामना कर रहे उधारकर्ताओं को 31 अगस्त 2020 तक कार्यशील पूंजी सुविधा मार्जिन को कम करके 'ड्राइंग पावर' की पुनर्गणना करने की अनुमति दी।

परिसंपत्ति वर्गीकरण

वित्त पोषित ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) में संचित ब्याज का रूपांतरण और विशेष रूप से COVID-19 से आर्थिक रूप से ग्रसित उधारकर्ताओं को दी गई ऋण शर्तों में परिवर्तन की अनुमति को उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण दी गई रियायतों के रूप में नहीं माना जाएगा। नतीजतन, इससे परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी। 29 फरवरी, 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में, यदि अतिदेय हो, तो भी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा पिछले दिनों की संख्या से स्थगन अवधि को बाहर रखा जाएगा। यह आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए है।

विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत संकल्प समय में विस्तार

रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विस्तार प्रदान किया। संकल्प समयसीमा को निम्न रूप में बढ़ाया जा सकता है:

i) 01 मार्च 2020 तक समीक्षा अवधि के भीतर मौजूद खातों के संबंध में 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि को समीक्षा अवधि के लिए 30 दिन की समयरेखा की गणना से बाहर रखा जाएगा। अवशिष्ट समीक्षा अवधि में संकल्प के लिए सामान्य 180 दिन होंगे।

ii) उन खातों के संबंध में जहां समीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 180 दिन की संकल्प अवधि 01 मार्च 2020 तक समाप्त नहीं हुई थी, संकल्प के लिए समय रेखा उस तारीख से 180 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी जिस पर मूल रूप से 180 दिन की अवधि समाप्त होनी थी।

iii) विस्तारित संकल्प अवधि समाप्त होने पर विवेकपूर्ण ढांचे में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता शुरू हो जाएगी। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहा क्लिक करें ।

बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क

रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को कॉर्पोरेट्स को संसाधनों के प्रवाह को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक बार के उपाय के रूप में बैंकों को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक जुड़े हुए समकक्षों के समूह के संपर्क में आने की अनुमति दी। यह COVID-19 महामारी की पृष्ठभूमि में बढ़ रही अनिश्चितता के कारण पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए किया गया है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

ब्याज समकरण योजना

भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार 13 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2021 तक एक और वर्ष के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना (आईईएस) के विस्तार को अधिसूचित किया। आईईएस के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा परिचालन निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

एचएफसी को केवाईसी पर एमडी का विस्तार

रिजर्व बैंक ने 19 मई 2020 को सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को अपने ग्राहक (केवाईसी) को जानें पर मास्टर दिशानिर्देश (एमडी) बढ़ा दिए। केवाईसी पर मास्टर दिशानिर्देश केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के निर्देशों का समेकन है और रिजर्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर ये लागू होते हैं। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

बैंक दर में बदलाव

रिजर्व बैंक ने 22 मई 2020 को अधिसूचित किया कि बैंक दर 40 बीपीएस से संशोधित होकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत हो गया है। तदनुसार, आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरों, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़े हुए हैं, में भी संशोधन किया गया है । यह 22 मई 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट

रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को बैंकों द्वारा स्वीकृत प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की अधिकतफ स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने करने का निर्णय लिया था। यह निर्यातकों को अन्य बातों के साथ-साथ COVID-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण विलंब/स्थगन, बिलों की प्राप्ति में देरी जैसी वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है । अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

III. वित्तीय बाजार विनियमन

ओटीसी डेरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म

रिजर्व बैंक ने 18 मई 2020 को निर्णय लिया कि आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां (आईबीयू) 01 जून 2020 से क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को उनके सभी इंटरबैंक और क्लाइंट लेनदेन द्वारा किए गए दोनों ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट व्युत्पन्न लेनदेन की रिपोर्ट करेंगी। इसके अतिरिक्त, आंकडों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में, 31 मई 2020 को सभी परिपक्व और बकाया लेनदेनों की रिपोर्ट 31 जुलाई 2020 तक प्रस्तुत की जाएगी। सीसीआईएल अपने सदस्यों को ऐसी रिपोर्टिंग की कार्यप्रणाली सूचित करेगा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग

रिजर्व बैंक ने 18 मई 2020 को निर्णय लिया कि जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक सौदों पर निर्देश - विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग अब 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे। इसके अलावा 27 मार्च 2020 के अपतटीय गैर-डिलिवरेबल रुपया व्युत्पन्न बाजारों में बैंकों की भागीदारी संबंधी निर्देश अब तक 01 जून 2020 से लागू होंगे। यह COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में बाजार सहभागियों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

आयात भुगतान निपटान के लिए समय सीमा

रिजर्व बैंक ने 22 मई 2020 को ऐसे सामान्य आयातों के प्रेषण को पूरा करने की समयावधि (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी के लिए राशि रोकी गई हो) को 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले किए गए आयात संबंधी शिपमेंट की तारीख से छह महीने से 12 महीने तक बढ़ा दिया गया। 01 जनवरी 2016 को अद्यतन वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर मास्टर दिशानिर्देश के संदर्भ में, सामान्य आयातों के विरुद्ध प्रेषण (यानी सोने/हीरे और कीमती पत्थरों/आभूषणों के आयात को छोड़कर) को शिपमेंट की तारीख से छह महीने बाद पूरा नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी के लिए राशि रोकी गई हो। अधिकृत डीलर बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इसे संबंधित घटकों के ध्यान में लाएं। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

V. सरकार का बैंक

सरकारी प्राप्तियों का प्रेषण

रिजर्व बैंक ने 29 मई 2020 को एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि राज्य सरकार के लेनदेनों की विलंबित रिपोर्टिंग पर दंडात्मक ब्याज की गणना रिजर्व बैंक के परिपत्र राज्य सरकार के खातों का रखरखाव- विलंबित प्रेषण पर ब्याज की वसूली (राज्य सरकार के लेनदेन) दिनांक 21 मार्च 2007 में दिए गए निर्देशों के अनुसार ₹ 500/- या उससे कम की राशि के लिए बिना और फिल्टर किए की जानी चाहिए। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की सलाह के अनुसार है। तदनुसार, 26 सितंबर 2019 को सरकारी प्राप्तियों के सरकारी खाते में विलंबित प्रेषण पर ब्याज की वसूली पर 26 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र निर्गम की तिथि से वापस किया/हटाया जाता है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहा क्लिक करें।

VI. जारी डेटा

रिजर्व बैंक द्वारा मई 2020 के महीने में जारी महत्वपूर्ण डेटा:

	जारी डेटा
1	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2018-19
2	अप्रैल 2020 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
3	भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार पर मासिक आंकड़े - मार्च 2020
4	त्रैमासिक बीएसआर-1: दिसंबर 2019 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण

आरबीआई वर्किंग पेपर शृंखला

रिजर्व बैंक ने मई 2020 माह में अपनी वर्किंग पेपर शृंखला के तहत दो प्रकाशन जारी किए।

डॉ जनक राज, डॉ संगीता मिश्रा, डॉ अशीष थॉमस जॉर्ज और जॉइस जॉन द्वारा सह-लिखित ''भारत में कोर इन्फ्लेशन उपाय- सीपीआई डेटा के प्रयोग से अनुभवजन्य मूल्यांकन नामक पहला वर्किंग पेपर 2012 से 2019 की अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (2012=100) के आधार पर भारत में मुख्य मुद्रास्फीति के उपायों के रूप में उनकी उपयुक्तता के लिए 11 संभावित उम्मीदवारों का आकलन करता है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

दूसरा वर्किंग पेपर भूपाल सिंह द्वारा लिखित ''उभरते बाजारों में तरलता झटके और ओवरनाइट ब्याज दरें: भारत में गार्च (GRCH) मॉडल्स से सबूत'' कॉल मनी दरों में आंदोलन और अस्थिरता के पैटर्न को आकार देने में प्रमुख कर्षण और संरचनात्मक तरलता के झटके की भूमिका की जांच करता है । पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए यहा क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।